न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 120/2024 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

विपिन कपूर पुत्र शादीलाल कपूर निवासी 14 सुभाष नगर मैट्रो स्टेशन के पास अजय एन्क्लेव तिलक नगर एस ओ वैट दिल्ली– 110018

...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए अभियोजन अधिकारी, दौसा

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा अंतर्गत एफ.आई.आर. नंबर 328/2024 पुलिस थाना कोतवाली अंतर्गत धारा 5, 6, 8 राज० गोवंश अधिनियम 1995

उपस्थितः1. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अविनाश माथुर, अभियोजन अधिकारी दौसा

निर्णय

दिनांक 27.12.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा दिनांक 06.07.2024 को 03 गोवंश भरकर ले जा रही मारूती ईको गाडी सं० डीएल 09 सी०ए०एस० 6651 को अभियोग संख्या 328/2024 अंतर्गत धारा 5, 6, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा जब्त उक्त ईको वाहन संख्या डीएल 09 सी०ए०एस० 6651को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति अभियोजन अधिकारी को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी के वाहन संख्या डीएल 09 सी०ए०एस० 6651 को जब्त किया गया है। उक्त वाहन का प्रार्थी रजिस्टर्ड स्वामी है जिसे प्रार्थी उक्त वाहन को प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के उक्त जब्त वाहन को उक्त प्रकरण में गलत रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिल्ली में चोरी हो गया था, जिसके एफआईआर नं० 019008/2024 दिनांक 1.7.2024 को ई पुलिस स्टेशन रनहौला उत्तर डिस्ट्रिक्ट काईम ब्रान्च दिल्ली में दर्ज कराई गई थी। प्रार्थी द्वारा अपने वाहन को किसी प्रकार के गोवंश परिवहन में उपयोग नहीं किया जा रहा था। पुलिस को उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाने में खडा खडा खराब हो रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सूरत है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायी जाकर पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा जब्तशुदा ईको वाहन संख्या डीएल 09 सी०ए०एस० 6651को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:35:09 IST
Reason: SelfAttested

4. अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि दिनांक 6.7.2024 को ईको कार नंबर डीएल 09 सी०ए०एस० 6651 में गौ वंश भर कर ले जो जा रहे थे जिनको पुलिस थाना कोतवाली द्वारा जब्त किया गया था। जब्तशुदा वाहन में 03 गोवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। अज्ञात अपराधियों द्वारा गोवंशीय पशुओं को कूरतापूर्वक भरक वध के प्रयोजन से भरकर परिवहन कर निर्यात करना पाया

जिला कलेक्टर, दौसा

गया। वाहन स्वामी से उक्त वाहन की तफ्तीश करने पर उक्त वाहन दिनांक 1.7.2024 को थाना क्षेत्र रानोला से चोरी होना पाया गया है। अपराधियों द्वारा उक्त वाहन को दिल्ली से चोरी कर गोवंशीय पशुओं की तस्करी में उपयोग लेना पाया गया है। घटना में लिप्त मुल्जिमों की जानकारी नहीं मिल पाई है। नतीजा एफ.आर. अदम पता मुल्जिमान जरिये एफ.आर. नंबर 536/2024 दिनांक 3.12.2024 को किता किया जाकर दिनांक 6.12.2024 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में पेश की जा चुकी है। अभियोजन अधिकारी ने जब्तशुदा वाहन को वाहन मालिक को सुपुर्द किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली एवं पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा दिनांक 06.07.2024 को जुर्म धारा 5, 6, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत ईको वाहन संख्या वाहन संख्या डीएल 09 सी0ए0एस0 6651 में 03 गो वंश को भर कर उक्त गोवंश को संभवतया वध के लिए ले जा रहे थे, को जब्त किया गया था। पुलिस द्वारा उक्त वाहन के स्वामी से अनुसंधान करने पर पाया गया कि उक्त वाहन दिनांक 1.7.2024 को थाना क्षेत्र रानोला से चोरी होना पाया गया है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 1.7.2024 को दर्ज होना प्रमाणित पाया जाता है। अभियुक्तों द्वारा उक्त वाहन को चोरी कर गोवंश की तस्करी में उपयोग लिया जा रहा था। साथ ही पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से घटना में संलिप्त मुल्जिमानों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस द्वारा नतीजा एफ.आर. अदम पता मुल्जिमान जरिये एफ.आर. नंबर 536/2024 दिनांक 3.12.2024 को किता किया जाकर दिनांक 6.12.2024 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में पेश की जा चुकी है। चूंकि अभियुक्तों द्वारा उक्त वाहन को चोरी किया जाकर गोवंश के परिवहन में उपयोग में लिया जा रहा था। अभी तक प्रकरण न्यायालय में जैरकार है। हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी जब्त उक्त वाहन सं0 डीएल 09 सी0ए0एस0 6651 मारूती ईको को 6,50,000/– रूपये की जमानतनामा एवं इतनी ही राशि का सुपुर्दगीनामा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश इस शर्त पर प्रदान किये जाते है कि वाहन के स्वामित्व में परिवर्तन अथवा वाहन का बेचान नहीं किया जावेगा। इसके अतिरिक्त वाहन के मूल स्वरूप से भी किसी प्रकार की छेडछाड नहीं की जावेगी। साथ ही वाहन को पुलिस अथवा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध कराने हेतु बाध्य रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। किया जाता है। पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की मूल केस डायरी निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:35:09 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा